झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

|| प्रेस विज्ञप्ति ||

निजी वाहनों को E-Pass निर्गत किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना :–

परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–234/CS/Res, दिनांक–12.05.2021 के अनुपालन में दिनांक–16.05.2021 से राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए E-Pass निर्गत किये जाने की ऑनलाईन व्यवस्था की गयी है। निजी वाहनों के लिए E-Pass विभागीय पोर्टल **epassjharkhand.nic.in** से ऑनलाईन निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

विभिन्न स्त्रोतों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि E-Pass निर्गत करने हेतु कई व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से राशि की मांग की जा रही है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि यह व्यवस्था पूर्णतः ऑनलाईन, निःशुल्क एवं Auto generated है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा E-Pass निर्गत करने हेतु अवैध राशि की मांग की जाती है तो वैसे लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निजी वाहनों के लिए E-Pass ऑनलाईन पोर्टल **epassjharkhand.nic.in** पर विधिवत Apply करते हुए E-Pass ऑनलाईन ही निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। E-Pass हेतु जिला परिवहन कार्यालय एवं अन्य किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

14/05/21

परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

Scanned with CamScanner